[राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में]

2023 का विधेयक संख्यांक 54

[दि एडवोकेट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023

अधिवक्ता अधिनियम, 1961
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

नई धारा 45क का अंतःस्थापन ।

2. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 45 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1961 का 25

दलालों की सूची बनाने और प्रकाशित करने की शक्ति ।

'45क. (1) प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और प्रत्येक राजस्व अधिकारी, जो जिले के कलेक्टर की श्रेणी से नीचे का नहीं है (प्रत्येक अपने स्वयं के न्यायालय और न्यायालयों के संबंध में, यदि कोई हो, उसका अधीनस्थ हो) अपनी संतुष्टि के लिए, या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि के लिए, सामान्य प्रतिष्ठा के साक्ष्य द्वारा या अन्यथा, दलालों के रूप में कार्य करने की आदत से साबित व्यक्तियों की सूची विरचित और प्रकाशित कर सकता है, जैसा उपधारा (3) में उपबंधित किया गया है, और समय-समय पर, ऐसी सूचियों में परिवर्तन और संशोधन कर सकता है ।

स्पष्टीकरण—किसी न्यायालय या राजस्व कार्यालय में विधि व्यवसाय के रूप में व्यवसाय करने के हकदार व्यक्तियों के संघ की बैठक में, जो विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई है, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा कोई व्यक्ति दलाल है या नहीं, को घोषित करने का प्रस्ताव पारित करना, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति की सामान्य प्रतिष्ठा का साक्ष्य होगा ।

(2) किसी व्यक्ति का नाम इस सूची में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक उसे इस तरह शामिल किए जाने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दलालों की सूची विरचित करने और प्रकाशित करने के लिए सशक्त कोई भी प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय को दलाल होने के लिए अभिकथित या संदिग्ध व्यक्तियों के नाम भेज सकता है, और अधीनस्थ न्यायालय उस पर ऐसे व्यक्तियों के आचरण की जांच करवाएगा और, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उपधारा (2) में यथा उपबंधित कारण बताने का अवसर दिए जाने के पश्चात्, उस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसने जांच का आदेश दिया था, प्रत्येक ऐसे व्यक्तियों का नाम, जो अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दलाल साबित हो चुका है ; और वह प्राधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति का नाम उस प्राधिकारी द्वारा विरचित और प्रकाशित दलालों की सूची में शामिल कर सकता है :

परंतु ऐसा प्राधिकारी, ऐसे व्यक्ति को सुनेगा, जो अपना नाम इस प्रकार शामिल किए जाने से पूर्व, उसके समक्ष उपस्थित होता है और सुनवाई की इच्छा रखता है ।

(4) ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति प्रत्येक न्यायालय में रखी जाएगी, जिससे वह संबंधित है ।

(5) न्यायालय या न्यायाधीश, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के परिसर से बाहर कर सकता है, जिसका नाम ऐसी किसी सूची में शामिल है ।

(6) कोई व्यक्ति, जो दलाल के रूप में कार्य करता है, जब तक उसका नाम ऐसी किसी सूची में शामिल है, उसे कारावास से, जो तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से

दंडित किया जाएगा ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "न्यायाधीश" से प्रत्येक सिविल या आपराधिक न्यायालय में पीठासीन न्यायिक अधिकारी अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी पदनाम से नामनिर्दिष्ट हो ;

(ख) "अधीनस्थ न्यायालय" से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालय, जिसमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित लघुवाद न्यायालय भी आता है, अभिप्रेत है ;

(ग) "राजस्व अधिकारी" में भूधारकों और उनके किराएदार या अभिकर्ताओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वाद का विचारण करने वाले सभी न्यायालय (सिविल न्यायालय से अन्यथा) शामिल हैं ;

(घ) "दलाल" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो,—

(i) किसी विधि व्यवसायी से किसी पारिश्रमिक के प्रतिफल में किसी विधि व्यवसाय में विधि व्यवसायी का नियोजन उपाप्त करता है ; या जो किसी विधि व्यवसायी को या विधि व्यवसाय में रूचि रखने वाले किसी व्यक्ति को उनमें से किसी से भी किसी पारिश्रमिक के बदले में, ऐसे कारबार में विधि व्यवसायी को रोजगार प्राप्त कराने का प्रस्ताव देता है ; या

(ii) जो ऐसे उपापन के प्रयोजन के लिए सिविल या आपराधिक या राजस्व कार्यालयों, या रेलवे स्टेशनों, या उतरने के स्थानों, वासा स्थलों या सार्वजनिक रिसार्ट के अन्य स्थानों में बार-बार जाता है ।'।

धारा 50 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) ऐसी तारीख को, जिसको अधिवक्ता अधिनियम की धारा 45क प्रवृत्त होती है, विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 की धारा 1, धारा 3 और धारा 36 निरसित हो जाएगी ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) विधिक व्यवसायियों से संबंधित विधि को संशोधित और समेकित करने तथा विधिज्ञ परिषद् और अखिल भारतीय बार के गठन का उपबंध करता है ।

2. स्वतत्रता से पूर्व, ब्रिटिश संसद् द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 ने क्राउन को लेटर्स पेटेंट द्वारा भारत में उच्च न्यायालय स्थापित करने में समक्ष बनाया और इन लेटर्स पेटेंट ने उच्च न्यायालयों को अधिवक्ता और न्यायवादियों के नामांकन के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत और सशक्त बनाया । विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 (1879 का 18) कुछ प्रांतों में विधिक व्यवसायियों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, और प्रत्येक अन्य प्रांत की प्रांतीय सरकार को इस अधिनियम के ऐसे भागों के विस्तार करने के लिए सशक्त बनाया गया था जैसा कि ऐसी सरकार उचित समझे । विधि व्यवसायी, विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879, बाम्बे प्लीडर अधिनियम, 1920 (1920 का 17) और भारतीय विधिज्ञ परिषद् अधिनियम, 1926 (1926 का 38) द्वारा शासित होते थे ।

3. स्वतंत्रता के पश्चात्, भारत में न्यायिक प्रशासन के सुधार के अनुरूप, विधि आयोग को न्यायिक प्रशासन के सुधार पर एक रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था । अखिल भारतीय बार समिति ने भी मामले का विस्तार से अध्ययन किया और 1953 में अपनी सिफारिशें कीं । जहां तक बार और विधिक शिक्षा से संबंधित सिफारिश की बात हे, न्यायिक प्रशासन के सुधार के विषय पर अखिल भारतीय बार समिति और विधि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अधिनियमित किया गया था ।

4. 'दलाल' से संबंधित मामले के सिवाय, सभी पहलू, जो विधि व्यवसाय अधिनियम, 1879 में निपटाए गए हैं, वे पहले से ही अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन कवर किए गए हैं । धारा 1, धारा 3 और धारा 36 के सिवाय, विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 की सभी धाराएं, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 50 की उपधारा (5) के खंड (क) द्वारा निरसित कर दी गई हैं । भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सं0 249 में, जिसका शीर्षक 'अप्रचलित विधि : तत्काल निरसन का वारंट (दूसरी अंतरिम रिपोर्ट)' है, ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 मे उपयुक्त संशोधन करने के पश्चात्, विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 को भी निरसित करने की सिफारिश की है ।

5. सभी अप्रचलित विधियों या स्वतत्रता पूर्व अधिनियमों को, जो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं, निरसित करने की सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने भारतीय विधिज्ञ परिषद् के परामर्श से विधि व्यवसाय अधिनियम, 1879 को निरस्त करने और विधि व्यवसाय अधिनियम, 1879 की धारा 36 के उपबंधों को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में शामिल करने के लिए संशोधन का निर्णय लिया है, जिससे कानून की किताब में अनावश्यक अधिनियमों की संख्या को कम किया जा सके । इससे विधि व्यवसाय को एक अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 द्वारा विनियमित करने में भी मदद मिलेगी ।

6 विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
21 जुलाई, 2023

अर्जुन राम मेघवाल

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंधों से, भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं होता है ।

MGIPMRND—170RS(CRC)—27-7-2023.

170RS-7